**Handing over of Indo-Pak border in Kutch to the army**

2469. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the entire Indo-Pak border in Kutch has been handed over to the army and that the police and BSF have been withdrawn and made second in command;

(b) whether it has been done for a greater surveillance and checking infiltration of aliens and trained *terrorists from Pakistan; and*

(c) Whether similar steps have been taken by the Navy and the Coast Guards for controlling the sea route through Okha and Jamnagar?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (SHRI ARUN NEHRU): (a) The Punjab/Rajasthan/Gujarat borders with Pakistan were placed under the control of the Army from 1st September 1985 to 31st October, 1985.

(b) The above measure was taken in order to relieve the pressure on the BSF whose commitments during the elections in the Punjab were heavy.

(c) The Navy and the Coast Guards are patrolling the Indian Maritime Zone as was being done hitherto.

**धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए केन्द्रीय विधान**

2470. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोभ-लालच, प्रलोभन और अज्ञानता के कारण हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये कोई केन्द्रीय कानून तैयार करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये विदेशों से प्राप्त होने वाले धन तथा साधनों पर भी प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब तक लगा देने का विचार है ?

**आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) :** (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**उच्चतम न्यायालय में हिन्दी को कानूनी दर्जा**

2471. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को भी कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिये तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाने की संभावना है ?

**गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :** (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी । जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबन्ध न कर दें, यही स्थिति लागू रहेगी ।

उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को कानूनी दर्जा देने की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।